न्यायालयः— श्री आलोक कुमार चतुर्वेदी अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी,
बगहा, प0 चम्पारण।
रामनगर थाना कांड संख्या— 178/2024
समान्य पंजी संख्या— 579/24
सरकार बनाम कृष्णा साह एवं अन्य

आदेश

21.08.2024 अभिलेख संज्ञान हेतु आज प्रस्तुत किया गया। संज्ञान के बिन्दु पर विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को सुना । अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के उपरांत आरोप पत्र संख्या— 239/2024 दिनांक 10.08.2024 को अन्तर्गत धारा 447,341,323,504,506/34 भा.द.वि. में अभियुक्तगण 1. माखन साह 2. सुनिल साह 3. छोटेलाल साह 4. संजय साह 5. जरल साह उर्फ राजनन्दन साह 6. दिलीप साह के विरूद्ध मुल कांड दैनिकी के साथ समर्पित किया। तथा अन्य सह अभियुक्तगण 7. कृष्णा साह 8. लीला देवी को अनुप्रेषित दिखाया। प्राथमिकी आरोप पत्र एवं मुल कांड दैनिकी का अवलोकन किया जिससे अभियुक्तगण 1. माखन साह 2. सुनिल साह 3. छोटेलाल साह 4. संजय साह 5. जरल साह उर्फ राजनन्दन साह6. दिलीप साह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 447,341,323,504,506/34 भा.द.वि. एवं **3/4** दहेज प्रतिषेध अधिनियम में प्रथम दृष्टया ममाला बनना प्रतित होता हैं।

अतः आरोप पत्र के कर्णिका 11 में वर्णित अभियुक्तगण 1. माखन साह 2. सुनिल साह 3. छोटेलाल साह 4. संजय साह 5. जरल साह उर्फ राजनन्दन साह 6. दिलीप साह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 447,341,323,504,506/34 भा.द.वि. एवं **3/4** दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संज्ञान लिया जाता है। तथा अन्य सह अनुप्रेषित दिखाये अभियुक्तगण 7. कृष्णा साह 8. लीला देवी के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही रोके जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्तगण के उपस्थिति हेतु सम्मन जारी करे। दिनांक 23.09.2024 उपस्थिती हेतु नियत।

अलोक कुमार चतुर्वेदी
अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी
बगहा, प0 चम्पारण।